न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री हुक्मीचन्द रोहलानियाँ (RAS)

राजस्व वाद संख्या 03/2021 (GCMS 2021/16)

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. किरण कंवर पत्नि हनुमानसिंह जाति राजपूत
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत
3. देवेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासीगण रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

श्री मो.हनीफ एवं श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रति. की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 07/08/2024

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि जमाबन्दी नकल सम्वत 2076–2079 अनुसार ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1183/25 कुल रकबा 0.68 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, प्रतिवादीगण ने उक्त खसरान की भूमि में बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना पटवारी हल्का रूपपुरा व भू.अ.निरीक्षक कुचामनसिटी द्वारा दिनॉक 08.01.2021 को रिपोर्ट से प्राप्त हुई कि प्रतिवादीगण कृषि भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के अकृषि में परिवर्तित कर लिया है। प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिनाय दावा दिनॉक 08.01.2021 को वादी के पास पटवारी हल्का रूपपुरा व भू.अ.निरीक्षक कुचामनसिटी की सूचना से प्राप्त होने पर उत्पन्न हुआ है । वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादीगण ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है। अतः ग्राम रूपपुरा के खसरा नम्बर 1183/25 कुल रकबा 0.68 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम भूमि को किरण कंवार पत्नि हनुमानसिंह जाति राजपूत वगैरह की खातेदारी भूमि को राजकीय दर्ज कर वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की आरे से उनके अधिवक्ता उपस्थित [illegible] जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के [illegible] नहीं करने से दिनॉक 23.08.2022 को प्रतिवादीगण का जवाब अवसर [illegible] किया गया। जिसकी अपील

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.10.22 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की जाने पर बाद सुनवाई 27.03.2023 को जवाब अवसर प्रस्तुत करने का प्रतिवादीगण को माननीय न्यायालय ने अवसर प्रदान किया गया। दिनॉक 28.07.2023 को प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ। जो शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम रूपपुरा के मूल खसरा नम्बर 25 रकबा 4.55 हैक्टर प्रतिवादीगण एवं रघुवीरसिंह पुत्र तेजसिंह की संयुक्त खातेदारी की दर्ज रही थी, जिसका भू-विभाजन सहमति से तहसीलदार कुचामनसिटी के यहॉं से कराये जाने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 428 दिनॉक 27.05.2015 खसरा नम्बर 25 रकबा 3.97 हैक्टर खातेदार रघुवीरसिंह पुत्र तेजसिंह राजपूत रूपपुरा तथा खसरा नम्बर 1183/25 रकबा 0.68 हैक्टर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई। बाद भू-विभाजन रघुवीरसिंह पुत्र तेजसिंह राजपूत रूपपुरा द्वारा ग्राम रूपपुरा के खसरा नम्बर 25 में बिना संपरिवर्तन कराये झिंकरा रोड़ बना दी तथा आवासीय प्रयोजनार्थ प्लाटिंग करना शुरू कर दिया तथा प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 1168/25 की पश्चिमी सींव को जे.सी.बी. से नष्ट कर दिया तथा भूमि में विद्युत पोल खड़े कर दिये तथा प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 25 को कृषि से अकृषि उपयोग में लिये जाने की सूचना भी तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रस्तुत की गई। उपरोक्त खसरान का एक वाद एवं प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गजेन्द्रसिंह बनाम रघुवीरसिंह वगैरह भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है जो आज दिन जैरकार है। प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 1183/25 में किसी प्रकार से कृषि से अकृषि कार्य नही किया गया है तथा नही भूमि में किसी प्रकार की प्लाटिंग की हुई है। इस प्रकार वाद चलने योग्य नही होने से वाद वादी खारिज फरमाया जावें।

इसी दौरान प्रतिवादीगण के निवेदन पर तहसीलदार कुचामनसिटी को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में पटवारी हल्का एवं निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी द्वारा तैयार मौका फर्द रिपोर्ट दिनॉक 10.07.2024 को तैयार सुदा तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से जरिये पत्रांक/राजस्व/2024/961 दिनॉक 25.07.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

प्रकरण में निम्न प्रकार तनकियात तैयार की गई :-

1. आया वादी की ओर से ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1183/25 रकबा 0.68 हैक्टर में प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि को बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने के कारण उक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द करवाये जाने के आदेश प्राप्त करने के वादी मुस्तहक है ? जिम्मे वादी
2. आया ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1183/25 रकबा 0.68 हैक्टर में प्रतिवादीगण ने कृषि भूमि को अकृषि के उपयोग में नही लिये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.10.22 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी (सत्यमेव जयते) कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

के कारण कृषि भूमि रहने के लिए इस्तदुआ प्राप्त किये जाने के प्रतिवादीगण मुस्तहक है ?

जिम्मे प्रतिवादीगण

3. अनुतोष ।

दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी नकल सम्वत 2073-2076 की प्रमाणित प्रति, एवं नक्शा ट्रेस की नकल वादी की ओर से प्रस्तुत की। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। दोनो ओर से किसी प्रकार से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही हुये तथा मौका रिपोर्ट को ही आधार माना जाकर आदेश पारित करने के कथन किये।

पटवारी हल्का एवं निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी द्वारा तैयार मौका फर्द रिपोर्ट दिनॉक 10.07.2024 को तैयार शुदा तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से जरिये पत्रांक/राजस्व/2024 /961 दिनॉक 25.07.2024 अनुसार ग्राम रूपपुरा के खसरा नम्बर 1183/25 रकबा 0.68 हैक्टर किरण कंवर पत्नि हनुमानसिंह गजेन्द्रसिंह देवेन्द्रसिंह पि. हनुमानसिटी राजपूत सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है खसरा नम्बर 1183/25 पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी का स्थगन आदेश दर्ज है तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर का स्थगन आदेश प्रभावी है, मौका स्थिति अनुसार उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर पुराने समय की प्लॉटिंग की हुई है, मौके पर मुटाम लगे हुए है तथा खसरे के मध्य में उत्तर से दक्षिण रास्ता बना हुआ है। मौका स्थिति अनुसार उक्त खसरे में घास व बबुल उगे हुये है। मौके पर उपस्थित सहखातेदार गजेन्द्रसिंह ने बताया कि उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी अन्य खसरा नम्बर के साथ पूर्व में अन्य सहखातेदारो के साथ उनके नाम थी, अन्य सहखातेदार रघुवीरसिंह ने अपने हिस्से के साथ हमारे हिस्से की भूमि में भी प्लाटिंग (अकृषि उपयोग) कर दी थी, प्लाटिंग करने के पश्चात सभी सह खातेदारो ने आपसी सहमति से जोत विभाजन करवा लिया, जोत विभाजन से मूल खसरा नम्बर 25 में से 0.68 हैक्टर की खातेदार हमारे हिस्से में दर्ज हुई, जिसके खसरा नम्बर 1183/25 कायम हुए, मौके पर उपस्थित गजेन्द्रसिंह ने बताया कि हमारे हिस्से में आए खसरा नम्बर 1183/25 रकबा 0.68 हैक्टर में से हम तीनों खातेदारो ने किसी को प्लॉट/जमीन का बेचान नही किया है, मौके पर भूमि पड़त ही रखी है तथा भविष्य में भी नियमानुसार संपरिवर्तन करवाये बिना अकृषि उपयोग के प्लॉटो का बेचान नही किया जायेगा।

प्रकरण में राज पैरोकार एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राज पैरोकार ने वाद-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने उपरोक्त प्रश्नगत भूमि को कृषि से अकृषि ... में नही लिये जाने के कथन दोहराये। तनकीवार निर्णय निम्न है :-

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.10.22 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी सं. 1 जिसे साबित करने का भार वादी पर था, जिसके समर्थन में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किये तथा जमाबंदी एवं नक्शे के अलावा अन्य किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। मौका फर्द रिपोर्ट दिनॉक 10.07.2024 अनुसार प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि ग्राम रूपपुरा के खसरा नम्बर 1183/25 रकबा 0.68 हैक्टर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। जिसे प्रतिवादीगण ने कृषि से अकृषि उपयोग में नही लिया गया है तथा मौके पर भूमि खाली एवं पड़त है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वाद प्रस्तुत करते समय वादी द्वारा सूक्ष्म जांच नही की गई, केवल मात्र पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण बनाकर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, यदि प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि में मौके पर प्लॉटिंग या कृषि से अकृषि उपयोग में लिया जाता तो वर्तमान में भूमि पड़त नही होती। इस प्रकार तनकी संख्या 1 किसी प्रकार से साबित करने में वादी विफल रहा है। अतः तनकी संख्या एक वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा, जिन्होने प्रस्तुत वाद के जवाब में भी कथन किया है कि ग्राम रूपपुरा के मूल खसरा नम्बर 25 का विभाजन अन्य खातेदार के साथ सहमति के आधार तहसीलदार कुचामनसिटी के समक्ष प्रस्तुत होने पर होकर प्रतिवादीगण के नाम खसरा नम्बर 1183/25 रकबा 0.68 हैक्टर खातेदार दर्ज हुई। पूर्व सहखातेदार रघुवीरसिंह द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 25 में प्लाटिंग कार्य किया गया है, प्रतिवादीगण की भूमि में आज दिन भी घास बबुल के पेड़ एवं पड़त भूमि है, जैसाकि फर्द मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने प्रश्नगत भूमि को कृषि से अकृषि उपयोग मे नही लिया गया है, जिसकी पुष्टि उपलब्ध जवाब फर्द मौका रिपोर्ट से साबित होती है। इस प्रकार तनकी संख्या दो प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 अनुतोष । उपरोक्त तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व निर्णित की जा चुकी है तथा तनकी संख्या 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। जिससे स्पष्ट है कि वाद वादी साबित करने में विफल रहा है। अतः वाद वादी साबित नही होने के कारण काबिल खारिज योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।

आदेश आज दिनॉक 07/08/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हुक्मीचन्द रोहलानियॉ RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.10.22 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ऑ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

बइजलास : **हुक्मीचन्द रोहलानियाँ (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या : 03 / 2021 **(GCMS 2021/16)**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. किरण कंवर पत्नि हनुमानसिंह जाति राजपूत
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत
3. देवेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासीगण रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू राज पैरोकार हाजिरी .... मिनजानिब मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री मोहम्मद हनीफ एवं श्री बिरमाराम चौधरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।**

निज .... मुवलिग .... बावत.................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 07/08/2024 को जारी की गई।

दस्तखत...................... उपखण्ड अधिकारी
ओहदा...................... (मुहर) कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमि नर		
फीस कमि नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन),

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.10.22 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner